फर्द–अहकाम

अज अदालत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चूरू (राज.)

सरकार बनाम जगदीश

नंबरी फौजदारी संख्या :– 84 / 2016

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	08.05.2026 अभियोजन अधिकारी उपस्थित। अभियुक्त जगदीश वर जमानत मय अधिवक्ता उपस्थित। साक्ष्य अभियोजन में गवाह पीडब्ल्यू 7 राजहंस के बयान लिये गये। प्रकरण लक्षित प्रकरणों में दर्ज है एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा शीघ्र निस्तारण के आदेश है। शेष गवाह को गिरफतारी वारण्ट से तलब किया जावे। तामीलों पर सुर्ख स्याही से नोट अंकित किया जावे कि अंतिम गवाह है तामील विशेष वाहक से करवाई जावे। अभियोजन अधिकारी उक्त गवाहों को अपने स्तर पर भी उपस्थित रखें। पत्रावली वास्ते साक्ष्य अभियोजन में दिनांक 29.05.2026 को पेश हो। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चूरू	जारी
29/05/2026	अभियोजन अधिकारी उप0। अभियुक्त जगदीश मय अधिवक्ता उप0। गवाह रामनिवास उप0 नहीं। यह अंतिम गवाह है। A/W अदम तामील है। अतः प्रकरण दरम्याने लिमिट का होने व गवाह अंतिम होने से तामील विशेष वाहक द्वारा अनिवार्यतः कराने का नोट अंकित कर तामील आगामी पेशी हेतु नवीनीकृत कर पुनः जारी होकर पत्रावली वास्ते साक्ष्य अभियोजन दिनांक 18/06/2026 को पेश हो। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चूरू (राज.)	